# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या : 36 / 2022 FSSA**

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राधेश्याम सैनी एफबीओ मैसर्सः— श्री श्याम कैफे, राज बाजार बांदीकुई जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: श्री बी. एस. मीना अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 12.07.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया था।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.06.2022 को दोपहर बाद 02:15 बजे मैसर्सः— श्री श्याम कैफे, राज बाजार बांदीकुई जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राधेश्याम सैनी उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक फ्रिज में प्लास्टिक की बाल्टी में करीबन 10 लीटर पपीता ज्यूस(दूध, चीनी व पपीता से बना) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसे विक्रेता ने पपीता, दूध व चीनी से निर्मित होना बताया। इसमे मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जांच हेतु 4 लीटर पपीता ज्यूस(दूध, चीनी व पपीता से बना) खरीदा। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की छोटी बोतल में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 200 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा पपीता ज्यूस(दूध, चीनी व पपीता से बना) को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलों मे बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 80—80 बून्द फार्मलीन की डालकर बोतलो को अलग—अलग ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ए.जी.–2988 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ(विक्रेता) गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 15.06.2022 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.06.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.06.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ पपीता ज्यूस(दूध, चीनी व पपीता से बना) का नमूना खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./504/एक्ट/2022/504 दिनांक 24.06.2022 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। नमूना सबस्टैण्डर्ड पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./504/एक्ट/2022/504 दिनांक 24.06.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पपीता ज्यूस(दूध, चीनी व पपीता से बना) के नमूने में सिंथेटिक कलर (Carmoisine) की मात्रा पाये जाने से यह नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पपीजा ज्यूस का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा दिनांक 12.07.2023 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि सी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्रोडक्ट रेगुलेशन 2.3.6(1) फ्रूट ज्यूस की सूची में स्पेस्फिक पपीता ज्यूस का कोई अंकन नहीं है न ही स्पेस्फिक स्टैण्डर्ड निर्धारित किया गया है। पपीता ज्यूस खुला तैयार किया जाता है उसको पैक्ड स्थिति में तैयार नहीं किया जाता है इसलिये कलर का डिक्लेरेशन किया जाना सम्भव नहीं है न ही आवश्यक है क्योंकि पपीता का स्वयं का रंग होता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भी नमूने हेतु खुला ज्यूस ही खरीदा है। जिसमे पपीता के ज्यूस के घटक का वर्णन करना सम्भव नहीं है। प्रार्थी ने खुले पपीता ज्यूस का विक्रय कर कोई अपराध नहीं किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त परिवाद में अप्रार्थी अभियुक्त को दोष मुक्त करने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 36 / 2022 FSSA

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 504 / एक्ट / 2022 / 504 दिनांक 24.06.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पपीता ज्यूस(दूध, चीनी व पपीता से बना) का नमूना सबस्टेण्डर्ड स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने पपीता ज्यूस(दूध, चीनी व पपीता से बना) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पपीता ज्यूस(दूध, चीनी व पपीता से बना) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राधेश्याम सैनी एफबीओ मैसर्सः– श्री श्याम कैफे, राज बाजार बांदीकुई जिला दौसा पर 3000 / –( अक्षरे तीन हजार रूपये ) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 12.07.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

( सुरेश कुमार )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक / FSSA/ दिनांकः– .07.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राधेश्याम सैनी
   एफबीओ मैसर्सः– श्री श्याम कैफे, राज बाजार बांदीकुई जिला दौसा।

( सुरेश कुमार )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा